न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 114/2023

प्रार्थी :– हनुमानाराम पुत्र अणदाराम जाति माली निवासी गांधीपुरा बालोतरा।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. रावताराम पुत्र अणदाराम के कायम मुकाम

   1/1. महेन्द्र पुत्र रावताराम जाति माली

   1/2. गोपाल पुत्र रावताराम जाति माली

2. हरखाराम पुत्र दाऊराम माली निवासीयान माली समाज भवन के पास गांधीपुरा बालोतरा
3. लक्ष्मणराम पुत्र खेराजराम प्रजापत निवासी ढण्ड–पचपदरा रोड, चिरडाणी पचपदरा।
4. केशाराम पुत्र सुखाराम
5. समदा पत्नी सुखाराम
6. हरीराम पुत्र सुखाराम सभी जातियान माली निवासी बाई पास पुलिये के पास, समदडी रोड बालोतरा
7. राजस्थान राज्य जरीये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा ।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा0भू रा0 अधि0 बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु</u>

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.07 17:02:50 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :–

1. श्री भूपेन्द्र गहलोत , प्रार्थीगण अधिवक्ता
2. श्री सुरेश कुमार, विप्रार्थी संख्या 1/1, व. 1/2
3. विप्रार्थी संख्या 2 से 07 एक पक्षीय

(हस्ताक्षर)
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

'आदेश' दिनांक :— 31.7.2023

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत सरहद मौजा चिरडाणी, पटवार हल्का पचपदरा तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 326/215 रकबा 1.8970 हैक्टयर में अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है ।

प्रार्थीगण के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया । विप्रार्थी संख्या 1/1 व 1/2 जरिये वकालतन उपस्थित ने जबाब व काउन्टर क्लेम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी के द्वारा करवाये गये सीमाज्ञान की विप्रार्थीगण को जानकारी नहीं है व विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के भूमि पर अतिकमण करने के तथ्य मिथ्या व झूठे न कभी सीमाचिन्हों को नष्ट किया है, साथ ही निवेदन किया कि विप्रार्थी द्वारा दिनांक 19.4.23 को जरिये ई–चालान सीमाज्ञान हेतु फीस अदा कि हुई है, विवाद के हमेशा हमेशा निस्तारण करने हेतु प्रार्थी की भूमि के साथ के खातेदारी मालिकाना की भूमि चिरढाणी, पटवार हल्का पचपदरा मे स्थित खसरा संख्या 327/215 रकबा 1.8970 की नेखम पैमाईश जरिये पत्थरगढी करने का काउण्टर क्लेम प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया । विप्रार्थीगण संख्या 2 ता 3 व 7 को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया बावजूद सूचना व सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अ[illegible]कालतन हाजिर नही हुए । विप्रार्थी संख्या 4 ता 6 ने दिनांक 2.6.2023 को [illegible]यालय मे उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु सहमती दी जाने [illegible]परान्त अन्य सुनवाई दिनांक पर उपस्थित नहीं हुए इस प्रकार विप्रार्थी संख्या 2 ता 7 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.07 17:02:50 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

उभय पक्ष की बहस सुनी । वकील प्रार्थी ने दोहराते बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी की कृषि भूमि मौजा चिरडाणी, पटवार हल्का पचपदरा तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 326/215 रकबा 1.8970 हैक्टयर भूमि मे आई हुई है । जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है, और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मैं आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है , और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है, इस कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा चिरडाणी, पटवार हल्का पचपदरा तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 326/215 रकबा 1.8970 हैक्टयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे । बहस को जारी रखते हुए कथन किया कि विप्रार्थी संख्या 1/1 व 1/2 की और से अपने खेत खसरा संख्या 327/215 रकबा 1.8970 की नेखम पैमाईश जरिये पत्थरगढी करने का निवेदन किया गया है को स्वीकार किया जाता है तो प्रार्थी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है ।

विप्रार्थी संख्या 1/1. व 1/2 के वकील न अपनी बहस मे जबाव के तथ्यो को दोहरान करते हुए प्रार्थी की भूमि के साथ –साथ विप्रार्थी की भूमि का नाप जरिये पैमाईश पत्थरगढी करने का काउण्टर क्लेम का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया ।

हमने प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1/1. व 1/2 के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी और बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात सीमाज्ञान फर्द का सम्यक पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया, जिसमें मौजा चिरडाणी, पटवार हल्का पचपदरा तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 326/215 रकबा 1.8970 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न जमाबंदी नकल की संवत 2079–2082 व नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.07 17:02:50 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है, और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की मेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार भी है। विप्रार्थी संख्या 1/1 व 1/2 के मौजा सिरडाणी, पटवार हल्का पचपदरा तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 326/215 रकबा 1.8870 हैक्टेयर में नक्शा मेखमबंदी जरिये की पत्थरगढ़ी करने का काउन्टर क्लेम का प्रार्थना पत्र प्रार्थी की सहमति व विवाद का हमेशा हमेशा का निस्तारण हेतु स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का आवेदन पत्र व विप्रार्थी का आवेदन काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खेत मौजा सिरडाणी, पटवार हल्का पचपदरा तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 326/215 रकबा 1.8870 हैक्टेयर व विप्रार्थी संख्या 1/1 व 1/2 के खेत मौजा सिरडाणी, पटवार हल्का पचपदरा तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 327/215 रकबा 1.8870 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ मेखम स्थापित करते हुए मेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर मेखमबंदी की जावे। प्रार्थीगण व एवं विप्रार्थीगण संख्या 1/1 व 1/2 मौके पर कमिश्नर फीस 1500/- 1500/- अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद प्राप्त कर सकते है पालना रिपोर्ट पेश होने पर शामिल मिसल हो।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
(न्यायिक) [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.07 17:02:50 IST
Reason: SelfAttested

आज दिनांक 31.07.2023 को आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(न्यायिक) [illegible]